6.(क) मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत 4 महीने के अवकाश लेखे से न घटाये जाने वाले औसत वेतन के अवकाश के अतिरिक्त अधिकतम अवकाश की अवधि जो मूल नियम 83 (7) (ख) या मूल नियम 8 (ख) या दोनों के अन्तर्गत की जा सकती है केवल 8 महीने हो सकती है। यह निष्कर्ष मूल नियम 83 (7) (ख) से निकलता है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के औसत वेतन के बराबर अवकाश वेतन दे दिया जाता है, जो ऐसी अवधि से अधिक न हो जो उस औसत वेतन के अवकाश के रूप में अन्यथा होती। मूल नियम 81 (ख) के अन्तर्गत यह अवधि 4 महीने *** तक सीमित है। *** जिसको कुछ परिस्थितियों में 4 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। *** औसत वेतन पर 8 महीने का अवकाश, यदि मूल नियम 81 (ख) के अन्तर्गत देय हो, और सारा मूल नियम 81 (7) (ख) के अन्तर्गत लिया जाये, तो पहले वाले नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत औसत वेतन पर, और आगे कोई अवकाश नहीं लिया जा सकता। अतएव सरकारी कर्मचारी को औसत वेतन पर जो कुल अवकाश दिया जा सकता है वह केवल 12 महीने हैं— अर्थात् 4 महीने मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत और 8 महीने मूल नियम 83 (7) (ख) या मूल नियम 81 (ख) या दोनों के अन्तर्गत।

(ख) मूल नियम 83 (4) के अन्तर्गत विशेष विकलांगता अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश को सम्मिलित किया जा सकता है। विशेष विकलांगता अवकाश को अवधियों के बीच में साधारण अवकाश के लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत लिये जाने वाले विशेष विकलांगता अवकाश को छोड़कर औसत वेतन की जो सीमायें मूल नियम 81 (ख) में दी गई हैं उससे और अधिक न होने पावे। मूल नियम 83 (4) के विस्तार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है क्योंकि मूल नियम 81 (ख) में स्पष्ट निर्देश है कि अधिकतम की गणना करने में मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत लिये गये अवकाश के लिये अतिरिक्त औसत वेतन पर लिये गये अन्य अवकाश को नहीं निकाला जाना चाहिए।

81-क. [* * *]

81-ख. एशिया से बाहर अधिवास करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें विदेशों में विशेष रूप से भर्ती किया जाय तथा जो छुट्टी के विषय में ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जिन्हें सरकार प्रत्येक मामले में नियत करे, निम्नलिखित छुट्टी के नियम नीचे दिये गये व्यक्तियों पर लागू होंगे:

(क) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1966 को या उसके बाद सरकारी सेवा में प्रविष्ट हों, और स्थायी पद पर धारणाधिकार रखते हों अथवा यदि उनका धारणाधिकार निलम्बित न किया गया होता तो उस पद पर धारणाधिकार रखते:

(ख) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1966 के पहले भर्ती किये गये हों और जिस पर उक्त दिनांक को मूल नियम 81-ख लागू होता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि 1 अप्रैल, 1966 को उनके नाम जमा अर्जित छुट्टी बनी रहेगी और उक्त दिनांक से इस नियम के उपनियम के उपनियम (1) के अधीन अतिरिक्त छुट्टी अर्जित करेंगे;

(ग) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1936 से पूर्व भर्ती किये गये हों और जिन पर मूल नियम 81 लागू होता हो और जो लिखित रूप में इन नियमों के अन्तर्गत आने का चुनाव करें और इस आशय की विशिष्ट घोषणा सरकार को करें। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि;

(i) ऊपर अभिदिष्ट विकल्प का प्रयोग करने के दिनांक को ऐसे सरकारी कर्मचारी के नाम जमा औसत वेतन पर शेष छुट्टी व्यपगत नहीं होगी। वह पहले एक सौ अस्सी दिन

से अधिक की ऐसी समस्त छुट्टी को समाप्त करेगा और जब ऐसी छुट्टी का बकाया इस अवधि से कम हो जाय, तब वह इस नियमावली के अधीन छुट्टी अर्जित करना आरम्भ कर देगा।

(ii) मूल नियम 81 के खन्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत वेतन पर पहले ली जा चुकी छुट्टी, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत वेतन पर स्वीकृत की जाने योग्य बारह महीने की छुट्टी की अधिकतम सीमा से काट ली जायेगी।

(iii) मूल नियम 81 के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन भारत, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, वर्मा अथवा अदन के अलावा कहीं अन्य स्थान पर बिताई गई चार माह से अधिक की औसत वेतन पर छुट्टी के दिनों की संख्या इस नियम के उप नियम (3) के अधीन निजी कार्य के लिये आधे औसत वेतन पर स्वीकृत की जाने योग्य 365 दिनों की छुट्टी की अधिकतम सीमा से काट ली जायेगी; किन्तु यदि कुल छुट्टी 365 दिन से अधिक हो जाय तो निजी कार्य पर कोई और छुट्टी अर्जित नहीं की जायेगी।

(1) [1][**अर्जित अवकाश**—राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में अर्जित अवकाश की संगणना करने के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1978 से निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(एक) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दो छमाही किश्तों में इकतीस दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को सोलह दिन का अर्जित अवकाश और पहली जुलाई को पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(दो) वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर सरकारी सेवा के लेखे में जमा अर्जित अवकाश वर्ष की अगली छमाही में इस शर्त के अधीन रहते हुये अग्रेनीत किया जायेगा कि इस प्रकार अग्रेनीत अवकाश तथा अगली छमाही को जमा अवकाश 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो जिसे एक जनवरी उन्नीस सौ सत्तासी से बढ़ाकर दो सौ चालीस दिन कर दिया गया है।

1 जनवरी, 1978 को या उसके पश्चात् किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, उसके अवकाश लेखे में प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की सेवा के लिये, जो उससे उस कैलेण्डर वर्ष की छमाही में की जानी प्रत्याशित है जिसमें वह नियुक्त किया गया है 2-1/2 (ढाई) दिन प्रति मास की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(तीन) जब कुल अर्जित अवकाश दो सौ चालीस दिन हो जाय तब सरकारी सेवक ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

टिप्पणी—एक सौ अस्सी दिन की सीमा को 1 जनवरी, 1987 से बढ़ाकर 240 दिन कर दिया गया।

(चार) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा किये गये अर्जित अवकाश में से पिछली छमाही के दौरान उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि के दसवें भाग तक पन्द्रह दिन की अधिकतम सीमा के अधीन, कम कर दिया जायेगा।

(पाँच) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवा-निवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र दे देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाए, अर्जित अवकाश उस दिनांक तक, जब वह सरकारी सेवक न रह जाए प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के

---

1. अधिसूचना सं० 4 सा-4-1071/दस 1992-20-1-76 दिनांक 21-12-1992 जो कि उ० प्र० गजट भाग 1-खण्ड (क) दि० 5-3-1994 को प्रकाशित हुआ।